राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

(पाठयचर्या विकास प्रकोष्ठ)

कमांक एफ4(152s)प्राशिमं/प्राविप्र/2011/6715 दिनांक: 9 SEP 201

प्रधानाचार्य,
समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
संलग्न सूची अनुसार।

विषय :– द्वितीय वर्ष सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में समायोजित किये जाने के दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत द्वितीय वर्ष सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में समायोजित किये जाने के लिये निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर वार्षिक प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप सत्र 2011–12 से द्वितीय वर्ष (तृतीय एवम् चतुर्थ सेमेस्टर) की कक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
2. विगत सत्र् में तृतीय अथवा/और चतुर्थ सेमेस्टर में जो विद्यार्थी उपस्थिति की कमी के कारण वंचित (Detaine) किये गये हैं अथवा सेशनल में अनुत्तीर्ण है उन्हें द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रणाली से नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना होगा एवं परीक्षा देनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को उनके द्वारा पूर्व में अर्जित किये गये तृतीय अथवा/और चतुर्थ सेमेस्टर के थ्योरी/प्रेक्टिकल/सेशनल अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

   * समस्त प्राचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसे समस्त विद्यार्थियों को उनके घर के पते पर इस आशय की सूचना रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं प्रेषित किये गये पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। किसी भी विद्यार्थी के वंचित रह जाने की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य स्वयं की होगी।
3. द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में उपरोक्तानुसार समायोजित किये गये नियमित विद्यार्थियों के लिये मण्डल के नियम एवं नियमन के बिन्दू संख्या 6.4.2 में चैक पोइंट के अन्तर्गत सत्रों की गणना में सत्र 2010–11 को शून्य सत्र् माना जायेगा।
4. जिन विद्यार्थियों को तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के कुछ विषय उतीर्ण करना शेष है, केवल उन विद्यार्थियों के लिये तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की बाह्य परीक्षाऐ नियमानुसार आयोजित होगी।

भवदीय

संयुक्त निदेशक एंव सचिव

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक एफ4(152S)प्राशिमं/पाविप्र/2012/5637 दिनांकः 18 SEP 2012

प्रधानाचार्य,
समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,

विषय :– इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में समायोजित किये जाने के दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय वर्ष सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में समायोजित किये जाने के लिये निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा तृतीय वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर वार्षिक प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप सत्र 2012–13 से तृतीय वर्ष (पंचम एवम् षष्ठ्म सेमेस्टर) की कक्षाओं का आयोजन नहीं किया जायेगा।
2. विगत सत्र् में पंचम अथवा/और षष्ठ्म सेमेस्टर में जो विद्यार्थी उपस्थिति की कमी के कारण रोके (Detaine) गये हैं, सेशनल में अनुत्तीर्ण है अथवा किसी भी अन्य कारण से सत्र् 2011–12 में पंचम अथवा/एवम् षष्ठ्म सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं बैठे हैं **अर्थात् जिन्हें सत्र् 2012–13 में कम्बाइंड (वार्षिक एवं सेमेस्टर) प्रणाली 2006 में नियमानुसार तृतीय वर्ष में नियमित अध्ययन करना है उन्हें तृतीय वर्ष में वार्षिक प्रणाली से नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना होगा एवं वार्षिक परीक्षा देनी होगी।** ऐसे विद्यार्थियों को उनके द्वारा पूर्व में अर्जित किये गये पंचम अथवा/एवं षष्ठ्म सेमेस्टर के थ्योरी/प्रेक्टिकल/सेशनल अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

   *निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे समस्त विद्यार्थियों को उनके घर के पते पर उपरोक्तानुसार सूचना रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं प्रेषित किये गये पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। किसी भी विद्यार्थी के वंचित रह जाने की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य स्वयं की होगी।
3. तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में उपरोक्तानुसार समायोजित किये गये नियमित विद्यार्थियों के लिये मण्डल के वार्षिक प्रणाली 2011–12 के नियम एवं नियमन लागू होंगें।
4. जिन बाह्य विद्यार्थियों को पंचम अथवा/एवं षष्ठ्म सेमेस्टर के कुछ विषय कम्बाइन्ड (वार्षिक एवं सेमेस्टर) प्रणाली 2006 में नियमानुसार बाह्य छात्र के रूप में उतीर्ण करना शेष है, केवल उन विद्यार्थियों के लिये पंचम अथवा/एवं षष्ठ्म सेमेस्टर की बाह्य परीक्षाऐ नियमानुसार आयोजित की जायेगी।

भवदीय

संयुक्त निदेशक एंव सचिव